



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

एनडीपीएस एक्ट के आरोपी बोबी को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 01 वर्ष 02 माह का कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

अवगत कराना है कि अभियुक्त बोबी पुत्र मांगेराम निवासी मौहल्ला देशराज कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2016 में अवैध मादक पदार्थ तस्करी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0- 482/2016 धारा 18/20 एडीपीएस एक्ट पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 17.08.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी 02 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त बोबी को दोषी पाते हुए 01 वर्ष 02 माह के कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है । बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 17.08.2024

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 203/24 धारा 379 भादवि व मु0अ0सं0 250/24 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 06 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 03 आर आर एच 04 जी, 03 आर आर एच 05जी, 03 टावर नेटवर्क सप्लाय, 01 कम्प्यूटर सप्लाय यंत्र व घटना में प्रयुक्त 06 मोबाइल फोन व 03 मोटर साईकिल (कुल कीमत करीब 50 लाख रुपये) बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

1-दिनांक 09.07.2024 को थाना खेकड़ा जनपद बागपत पर वादी अनुराग पुत्र रविन्द्र निवासी पी0पी0 ट्रोल्डिंगन मंगल पांडेय नगर मेरठ आनलाइन एफआईआर दर्ज कराई कि अज्ञात चोरों ने रिलाइंस जियो टावर बसी रोड खेकड़ा से 01 आर आर एच 04जी व पावर केबिल चोरी कर लिये हैं । इस सम्बन्ध में आनलाइन एफआईआर के आधार पर थाना खेकड़ा जनपद बागपत पर



मु0अ0सं0 203/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।

2-दिनांक 14.08.2024 को थाना खेकड़ा पर वादी अनुराग पुत्र रविन्द्र निवासी पी0पी0 ट्रोल्डिंगन मंगल पांडेय नगर मेरठ ने सूचना दी कि अज्ञात चोरों ने रिलाइंस जियो टावर बसी रोड खेकड़ा से 01 आर आर एच04जी, 01 आर आर एच 5जी, 09 केबिल चोरी कर लिये हैं । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना खेकड़ा जनपद बागपत पर मु0अ0सं0 250/24 धारा 302(2)/324(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 203/24 धारा 379 भादवि व मु0अ0सं0 250/24 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 03 आर आर एच 04 जी, 03 आर आर एच 05जी, 03 टावर नेटवर्क सप्लाइ, 01 कम्प्यूटर सप्लाइ यंत्र व घटना में प्रयुक्त 06 मोबाइल फोन व 03 मोटर साईकिल बरामद (कुल कीमत करीब 50 लाख रुपये) हुई हैं।

नोट-उपरोक्त अभियोगों में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-शाहिद पुत्र गुलजार मूल निवासी ग्राम दोझा थाना बिनौली जनपद बागपत, हाल पता निठौरा रोड राशिद अली गेट थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
- 2-फरीद पुत्र गुलफाम निवासी ग्राम दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 3-फैजान पुत्र नाजिम निवासी ग्राम दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 4-अजीम पुत्र तसलीम निवासी निठौरा रोड बबलू गार्डन दिलवर सिटी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
- 5-जाकिर पुत्र गफफार निवासी न्यू इस्लाम नगर समर गार्डन थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ।
- 6-इमरान पुत्र साविर निवासी शिव विहार कृपाल फैक्ट्री मुस्तफावाद दिल्ली।

गिरफ्तार अभियुक्त शाहिद का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 213/2020 धारा 147/148/323/325/34/452 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 960/2023 धारा 380/411 भादवि थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।
- 3-मु0अ0सं0 465/2024 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0 495/2024 धारा 379/411 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5-मु0अ0सं0 503/2024 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 6-मु0अ0सं0 250/2024 धारा 303(2)/324(4)/317(5) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 7-मु0अ0सं0 253/2024 धारा 317(5)/317(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 8-मु0अ0सं0 203/24 धारा 379 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त फरीद का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 427/2023 धारा 60/63 आबकारी अधीनियम थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद ।
- 2-मु0अ0सं0 250/2024 धारा 303(2)/324(4)/317(5) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0सं0 253/2024 धारा 317(5)/317(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 4- मु0अ0सं0 203/24 धारा 379 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त फैजान आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 250/2024 धारा 303(2)/324(4)/317(5) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 253/2024 धारा 317(5)/317(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3- मु0अ0सं0 203/24 धारा 379 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त अजीम का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 250/2024 धारा 303(2)/324(4)/317(5) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 253/2024 धारा 317(5)/317(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3- मु0अ0सं0 203/24 धारा 379 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त जाकिर का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 250/2024 धारा 303(2)/324(4)/317(5) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 253/2024 धारा 317(5)/317(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3- मु0अ0सं0 203/24 धारा 379 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त इमरान का आपराधिका इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 250/2024 धारा 303(2)/324(4)/317(5) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 253/2024 धारा 317(5)/317(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 3- मु0अ0सं0 203/24 धारा 379 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 03 आर0आर0एच04जी।
- 03 आर0आर0एच05जी।
- 03 टावर नेटवर्क सप्लाई।
- 01 कम्प्यूटर सप्लाई।
- घटना में प्रयुक्त 06 मोबाइल फोन।
- घटना में प्रयुक्त 03 मोटरसाईकिल।
- कुल कीमत करीब 50 लाख रुपये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री भूरेन्द्र सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री अबरार हुसैन थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 3-उ0नि0 श्री दिग्विजय सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 4-है0का0 53 रविन्द्र कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 5-है0का0 292 सिराज खान थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 6-है0का0 442 मौ0 आफाक थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 7-है0का0 45 अरुण कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 8-का0 555 रवि चौधरी थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 9-का0 1008 मिथुन कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 10-का0 250 कोमल कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना छपरौली

दिनांक 17.08.2024

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 175/24 धारा 87 बीएनएस से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 175/24 धारा 87 बीएनएस से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0- श्री अमित कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-म0का0 540 रजनी थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-का0 227 अनिल थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 4-का0 511 धर्मेन्द्र कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनाँक – 17.08.2024

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 186/24 धारा 305 BNS का सफल अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 सिलेण्डर व चोरी का समान बेचकर प्राप्त रुपये में से 2670 रुपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त 01 साईकिल, 01 आरी ब्लेड, 01 लोहा कटर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 22.07.24 को थाना छपरौली पर वादी दिनेश प्रधानाध्यापक विद्यालय ग्राम चौबली थाना छपरौली जनपद बागपत ने सूचना दी की अज्ञात चोर द्वारा प्राथमिक विद्यालय चौबली की रसोई से 02 गैस सिलेण्डर आदि सामान चोरी कर लिया गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0



186/24 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 186/24 धारा 305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 सिलेण्डर व चोरी का समान बेचकर

प्राप्त रूपये में से 2670 रूपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त 01 साईकिल, 01 आरी ब्लेड, 01 लोहा कटर बरामद हुआ है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

उस्मान पुत्र वहिद निवासी मौ0 काजियान कर-बा व थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त उस्मान का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु.अ.सं. 186/24 धारा 305 BNS थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 2-मु.अ.सं. 207/24 धारा 303 (2) BNS थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 3-मु.अ.सं. 198/24 धारा 305 BNS थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 4-मु.अ.सं. 494/24 धारा 305,331(4) BNS थाना बडौत जनपद बागपत।
- 5-मु.अ.सं. 460/24 धारा 305,331(4) BNS थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ 01 सिलेण्डर व चोरी का समान बेचकर प्राप्त रूपये में से 2670 रूपये नगद
- घटना में प्रयुक्त 01 साईकिल, 01 आरी ब्लेड, 01 लोहा कटर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रामअवतार सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 2-का0 633 जहाँगीर पंवार थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 3-का0 597 प्रेमपाल थाना छपरौली जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 17.08.2024

थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व

पता-

नीटू पुत्र राजेन्द्र निवासी बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

2- का0 194 तरूण कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक-17.08.2024

थाना बिनौली पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही- जनपद बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता-

सचिन पुत्र बलजोर निवासी ग्राम सिरसलगढ थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0यूटी श्री उत्कर्ष गुप्ता थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-है0का0 669 रामकिशन कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।